

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 91 /2020 दिनांक 23.07.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/83/2020 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा श्रीमती ऋतु चन्दानी (RJ1108), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को दिनांक 01.07.2020 से 18.07.2020 तक 18 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.07.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
21.7.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/49/2017/ 2950

दिनांक 22.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 3913 दिनांक 01.07.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ऋतु चन्दानी (RJ1108), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
5. श्रीमती सावित्री सिंह (RJ0775), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

21.7.2020
सहायक रजिस्ट्रार